



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 2022 ई०

पौष 02, 1944 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 364/XXXVI(3)/2022/61(1)/2022

देहरादून, 23 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन मा० राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022’ पर दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या: 19, वर्ष- 2022 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 19, वर्ष 2022)

पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:-

- | | |
|----------------------------|---|
| संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ | 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा। |
| अधिनियम में संशोधन | 2. पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में "पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय" शब्दों के स्थान पर, जहाँ जहाँ वे आते हैं, "यूपीईएस" शब्द रख दिये जायेंगे। |
| व्यावृत्ति | 3. ऐसे संशोधन के होते हुए भी मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी। |

आज्ञा से,

हीरा सिंह बोनाल,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण का कथन

पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में नये विषयों के सम्मिलित होने, विश्वविद्यालय का संक्षिप्त नाम अधिक लोकप्रिय होने एवं विश्वविद्यालय के संक्षिप्त नाम से ही राज्य के भीतर एवं देश भर के विभिन्न मंचों पर विश्वविद्यालय द्वारा अपना परिचय देने के दृष्टिगत पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय के नाम में संशोधन किया जाना समीचीन है।

2- प्रस्तावित विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

डा० धन सिंह रावत
मंत्री